अभियुक्त के पास से फैक्ट्री मेड प्रतिबंधित नम्बरी आयुध 9 एम.एम.कार्बाइन व 315 बोर का राइफल व उसके कारतूस व मैगजीन बरामद हुए है। जिसे अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा–3/25 एवं धारा–7/27(2) का आरोप संदेह से परे साबित होता है।

अभियुक्त के पास से प्रतिबंधित आयुध उपर्युक्त बरामद हुआ है, परन्तु अभियोजन के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा–411 भा.दं.सं. का आरोप साबित कर पाने में सफलता नहीं मिली है, परन्तु ये प्रतिबंधित आयुध अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसके विरूद्ध धारा–414 भारतीय दण्ड संहिता चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करने का आरोप बाखूबी संदेह से परे साबित होता है।

अतः अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी सत्र परीक्षण संख्या–149/2012, अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 307 भा.दं.सं. व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी सत्र परीक्षण संख्या–150/2012 में अं.धारा– 3/25 एवं 7/27(2) आयुध अधिनियम 1959 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। शेष धाराओं में अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी सत्र परीक्षण संख्या–151/2012 में धारा–414 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा शेष धाराओं में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी न्यायालय के समक्ष जेल से उपस्थित है। अभियुक्त का उपर्युक्त सत्र परीक्षण वादों में सजायाबी वारण्ट बनाकर उसे जेल वापस भेजा जाय।

पत्रावली दिनांक 30.01.2024 को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।

(एहसानुल्लाह खान)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं.–1,
सोनभद्र

दिनांक–22.01.2024

Scanned with OKEN Scanner

30.01.2024:–

आज आशुलिपिक अस्वस्थ्य होने के कारण निर्णय तैयार नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 02.02.2024 को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांक–30.01.2024

(एहसानुल्लाह खान)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं.–1,
सोनभद्र
(J.O Code - UP 6024)

02.02.2024:–

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष कारागार से उपस्थित है। अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया कि वह बहुत वर्षो से जेल में है। वह गरीब व्यक्ति है। उसे मात्र पुलिस की झूँठी कार्यवाही में झूँठा फंसा दिया गया है। अतः उसके उपर दया करते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

अभियोजन की तरफ से कथन किया गया कि अभियुक्त अत्यंत जघन्य किस्म का नक्सल अपराधी है, जो लगभग कई दशक से अपराध में लिप्त है और उसके विरूद्ध 70–75 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या व लूट जैसे गम्भीर अपराध सम्मिलित है। ऐसे अपराधी के साथ किसी प्रकार की उदारता नहीं बरती जा सकती। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था { **राव जी बनाम रा. जस्थान राज्य, 1996 (2) एस.सी.सी.175**} में यह विनिश्चियन किया गया है कि न्यायालय को दण्ड का प्रश्न निर्धारण करते समय अभियुक्त की स्थिति एवं प्रास्थिति पर विचार नहीं करना होता है, अपितु अपराध एवं अपराध की गम्भीरता पर विचार करना होता है और अपराध एवं अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए दण्ड की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्मानित विधि व्यवस्था {**एक्स गनर बीरेन्द्र प्रसाद बनाम भारत संघ (2023)3 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 610**} में यह विनिश्चयन किया है कि दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई करते हुये न्यायालय दण्ड का

Scanned with OKEN Scanner

निर्धारण अपराध की प्रकृति, घटना कारित करने की रीति, अपराध की गम्भीरता, घटना कारित करने की परिस्थितियॉ, घटना की तीव्रता को दर्शित करने वाले तथ्य, अभियुक्त की आपराधिक इतिहास,. अभियुक्त का पृष्ठिभूमि, अभियुक्त की शिक्षा, घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थित, समाज की प्रास्थिति, अभियुक्त के समाज की मनोवैज्ञानिक दशा, अभियुक्त की अपराध कारित करने में अभ्यस्तता, अभियुक्त के अन्दर सुधार की सम्भावना तथा अभियुक्त के समाज के मुख्य धारा में पुनर्वास की सम्भावना पर विचार करना चाहिये तथा साथ ही न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिये कि क्या अभियुक्त को ऐसा दण्ड देने की आवश्यकता है जिससे कि अपराधी के साथ–साथ सम्पूर्ण समाज को भी एक संदेश दिया जा सके।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **{वसीम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किमिनल अपील नम्बर–2494/ 2018 निर्णय दिनांकित 16.12.2020}** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था (1) रवादा शशिकला बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट 1166, (2) सुमेर सिंह बनाम सूरजभान (2014) 7 एस0सी0सी0 3235 (3) श्याम नरायन बनाम एन0सी0टी0 दिल्ली (2013) 7 एस0सी0सी0 77 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण करते हुये यह विनिश्चियन किया गया कि दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय न्यायालय को घटना कारित करने की रीति, घटना का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, घटना का वादी पक्ष एवं पीड़ित पक्ष पर पड़ने वाला प्रभाव एवं घटना कारित करने में अभियुक्त की भूमिका एवं हेतुक पर विचार करना चाहिये और समस्त तथ्यों के समरूप घटना के सापेक्ष दण्ड का प्रकार एवं अवधि का निर्धारण करना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **{कर्नाटक राज्य बनाम राजू ए0आई0आर0 2007 सुप्रीम कोर्ट 3225}** में यह विनिश्चियन किया है कि दण्डादेश कठोर होना चाहिये। दण्डादेश में अनावश्यक उदारता का समावेश नहीं होना चाहिये। अनुचित एवं असम्यक उदारता एवं सहानुभूति न्याय को अपेक्षाकृत अधिक क्षति पहुँचाते हैं। दोषसिद्ध हो जाने के बाद अभियुक्त के ऊपर किसी प्रकार का निरापद उदारता व सहानुभूति प्रकट करके उसे पर्याप्त दण्ड से दण्डित न करने से न्याय की घोर क्षति होती है। असम्यक उदारता एवं सहानुभूति प्रकट करके यदि अभियुक्त को विधि द्वारा प्रावधानित सम्यक दण्ड से पर्याप्त रूप से दण्डित न किया जाय तो इससे सामान्य जन का विश्वास भी प्रभावित होता है।

Scanned with OKEN Scanner

केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभियुक्त निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है–

–: आदेश :–

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास व मु. 5000/–रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी को धारा–7/27(2) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं मु. 20,000/–रूपये के दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी को धारा–414 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास व मु. 5,000/–रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ गुरू जी को शेष आरोपित धाराओं में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त को निर्णय की प्रति अविलम्ब प्रदान किया जावे।

अभियुक्त को सजायाबी वारण्ट बनाकर कर जिला कारागार, सोनभद्र प्रेषित किया जाय।

निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, सोनभद्र को धारा–365 दण्ड प्रकिया संहिता के अनुसार में प्रेषित किया जावे।

निर्णय की एक–एक प्रति उपर्युक्त पत्रावलियों पर रखा जावे।

(एहसानुल्लाह खान)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं.–1,
सोनभद्र
(J.O Code - UP 6024)

दिनांक–02.02.2024

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

(एहसानुल्लाह खान)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं.–1,
सोनभद्र
(J.O Code - UP 6024)

दिनांक–02.02.2024

Scanned with OKEN Scanner